राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.3 (28) नवि/3/96 दिनांक: 1.8.2001

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 25 की उप धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार योजना में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु :-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में 1000 व.ग. क्षेत्र के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 10 के तहत गठित समिति को प्राधिकृत करती है।

2. जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में 1000 व.ग. क्षेत्र के भू-उपयोग परिवर्तन करने को निम्नलिखित समिति को गठित एवं प्राधिकृत करती है :-

   (1) महापौर, नगर निगम, जयपुर — अध्यक्ष
   (2) अध्यक्ष, भवन निर्माण समिति — सदस्य
   (3) संबंधित क्षेत्र के विधायक — सदस्य
   (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संबंधित आयुक्त — सदस्य
   (5) अतिरिक्त/वरिष्ठ नगर नियोजक, न.नि. जयपुर — सदस्य-सचिव

3. एक हजार वर्ग गज से अधिक क्षेत्र के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निम्न समिति को गठित एवं प्राधिकृत करती है :-

   (1) शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग — अध्यक्ष
   (2) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण - प्राधिकरण के मामलों में। — सदस्य
   (3) निदेशक, स्थानीय निकाय — सदस्य
   (4) सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुक्त, नगर निगम, जयपुर - जयपुर नगर निगम के प्रकरणों में। — सदस्य
   (5) मुख्य नगर नियोजक — सदस्य-सचिव

(4) यदि प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम को पूर्व में किसी प्रकार से संदर्भित किया गया हो तो विवरण देवें –

....

....

....

(5) स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

(6) आवेदन शुल्क जयपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम में जमा कराने संबंधी प्रमाण की प्रति संलग्न करें।

(7) प्रकरण से संबंधित अन्य कोई सूचना।

दिनांक ....

स्थान ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

आवेदक, ... का आवेदन पत्र दिनांक .... को प्राप्त किया गया। आवेदक का आवेदन पत्र आगामी भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में रखा जावेगा।

....

जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम
अधिकृत अधिकारी
(पदनाम)

(47)
(20)